

श्रीमान् उप आवासन आयुक्त, वृत्त— राजस्थान आवासन मण्डल,

विषयः—वरियता क्रमांक/आवास/फ्लैट संख्या के पेटे जमा करवायी गयी राशि लौटाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की (योजना का नाम) में आवास / फ्लैट हेतु पंजीकरण करवाया गया। जिसके तहत मूझे वरियता क्रमांक/आवास संख्या दिनांक को आयोजित लॉटरी द्वारा आवंटित हुआ है। मण्डल द्वारा मेरे उक्त पंजीकरण/आवास/फ्लैट को निरस्त कर दिया गया है अथवा मैं लेने में असमर्थ हूं।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरे द्वारा पंजीकरण/आवास/फ्लैट संख्या के पेटे जमा करवायी गयी राशि को मण्डल नियमानुसार लौटाने का श्रम करें।

भवदीय,

()
नाम—	
पता—	

संलग्नः–

- 1– पंजीकरण⁄आवंटन पत्र की मूल प्रतियां।
- 2- जमा करवायी गयी राशि की मूल चालान/रसीदें।
- 3– पहचान पत्र की स्व सत्यापित छायां प्रति।